तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 26/2026 रे0फो0 **राजस्थान राज्य बनाम नर्बदा** **(1/1)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में

दिनांक : 03.02.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त नर्बदा मय अधिवक्ता **श्री सुनील पालीवाल** उपस्थित।

पत्रावली श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदया, राजसमंद के आदेश क्रमांक 18 दिनांक 15.01.2026 की अनुपालना में अंतरित होकर न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा से प्राप्त हुई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नहीं। प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर टारगेट प्रकरण होकर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।

पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू 01 श्रीमती लक्ष्मी उर्फ बीना व पीडब्ल्यू 02 प्यारचंद की प्रतिपरीक्षा रिजर्व है।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 01 से 03 जरिये जमानती वारंट 5,000/– रुपये से दिनांक 11.02.2026 एवं गवाह संख्या 04 से 06 को जरिये जमानती वारंट 5,000/– रुपये से दिनांक 12.02.2026 के लिए तलब किया जावें।

गवाहान को जारी तामील पर प्रकरण पुराना होने व टारगेट केस होने से आवश्यक रूप से तामील करवाए जाने का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें।

तामील की एक प्रति एपीओ व एसपी राजसमंद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली साक्ष्य अभियोजन दिनांक 11.02.2026 को पेश हो।